

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी
सिटी कोतवाली के सामने बून्दी Mail ID:- ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक: ICDS / बून्दी/2025/650

दिनांक :- 23-07-2025

विज्ञप्ति संख्या : 02/2025

जिले में संचालित निम्नलिखित परियोजनाओं के अधीन आँगनबाड़ी केन्द्रों पर आँगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आँगनबाड़ी सहायिका के स्वैच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	परियोजना कार्यालय का नाम एवं ईमेल आईडी	ग्राम पंचायत/नगरीय निकाय का नाम	ग्राम/वार्ड	आँगनबाड़ी केन्द्र का नाम	रिक्त मानदेय पद का नाम	आरक्षित वर्ग
1	बा0 वि0 परि0 अधि0 के0 पाटन ICDS.KESAYRAIPATAN@RAJASTHAN.GOV.IN	दौलतपुरा	महापुरा	महापुरा	कार्यकर्ता	ST
2			महापुरा	महापुरा	सहायिका	ST
3			टोकसपुरा	टोकसपुरा	सहायिका	ST
4		बाबई	सक्रामगंज	सक्रामगंज	कार्यकर्ता	ST
5			सक्रामगंज	सक्रामगंज	सहायिका	ST
6			जयनगर	जयनगर	सहायिका	-
7		बसवाडा	पाली	पाली	कार्यकर्ता	ST
8			पाली	पाली	सहायिका	ST
9		सखावदा	माल की झोपडिया	माल की झोपडिया	कार्यकर्ता	ST
10			माल की झोपडिया	माल की झोपडिया	सहायिका	ST
11		करवाला की झोपडिया	पीपल्दा सुमेल	पीपल्दा सुमेल	कार्यकर्ता	ST
12			पीपल्दा सुमेल	पीपल्दा सुमेल	सहायिका	ST
13		भिया	सुखसागर	सुखसागर	कार्यकर्ता	ST
14			सुखसागर	सुखसागर	सहायिका	ST
15		रेबारपुरा	छप्पनपुरा	छप्पनपुरा	कार्यकर्ता	ST
16			छप्पनपुरा	छप्पनपुरा	सहायिका	ST
17		माधोराजपुरा	के0पाटन ग्रामीण	के0पाटन ग्रामीण	सहायिका	SC
18		फोलाई	जगन्नाथपुरा	जगन्नाथपुरा	कार्यकर्ता	-
19		नगर पालिका काप्रेन	वार्ड नं0 2	वार्ड नं0 02	सहायिका	ST
20		नगर पालिका के0पाटन	वार्ड नं0 3	वार्ड नं0 3 I	सहायिका	-
21	बा0 वि0 परि0 अधि0 तालेडा ICDS.TALERA@RAJASTHAN.GOV.IN	अल्फानगर	सीतापुरा	सीतापुरा I	कार्यकर्ता	-
22		तालेडा	तालेडा	तालेडा V	कार्यकर्ता	-
23		लाम्बाखोह	लाम्बाखोह	लाम्बाखोह I	सहायिका	ST
24		जमीतपुरा	खेडला	खेडला	सहायिका	-
25	बा0 वि0 परि0 अधि0 हिण्डोली ICDS.HINDOLI@RAJASTHAN.GOV.IN	अणतगंज	अणतगंज	अणतगंज	सहायिका	-
26		सहसपुरिया	रघुनाथपुरा	रघुनाथपुरा I	सहायिका	-
27		भवानीपुरा	रेण	रेण I	सहायिका	SC
28			रेण	रेण II	सहायिका	-
29		रोशन्दा	देवडुंगरी	देवडुंगरी	सहायिका	ST
30		बसोली	ओवण	ओवण I	सहायिका	-
31	बाल विकास परियोजना अधिकारी नैनवा CDPO.NAINWAN@RAJASTHAN.GOV.IN	जजावर	माताजी का झोपडा	माताजी का झोपडा	कार्यकर्ता	-
32			ताकला	ताकला	सहायिका	SC
33		सीसोला	बालापुरा	बालापुरा	सहायिका	ST
34		बामनगांच	भोमपुरा	भोमपुरा	सहायिका	-
35		गम्भीरा	रामपुरिया	रामपुरिया	सहायिका	ST
36		समिधी	समिधी	समिधी I	सहायिका	-

Signature Not Verified

Digitally signed by Richa Chaturvedi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.07.23 16:37:50 IST
Reason: Approved



राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी
सिटी कोतवाली के सामने बून्दी Mail ID:- ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in

37		भजनेरी	भजनेरी	भजनेरी I	सहायिका	-
38		सहण	खेडी	खेडी	कार्यकर्ता	ST
39		आतरदा	अरनेठा	अरनेठा	सहायिका	-
41		करवर	करवर	करवर III	कार्यकर्ता	-
42		गुढा देवजी	डेलपुरा	डेलपुरा	सहायिका	ST
43		जेतपुर	जेतपुर	जेतपुर	कार्यकर्ता	
44		जेतपुर	जेतपुर	जेतपुर	सहायिका	-
45		गुढासादावृतिया	देवपुरा	देवपुरा	कार्यकर्ता	ST
46		बाछौला	उगेन	उगेन	कार्यकर्ता	ST
47		नगरपालिका देई	देई II	देई II	सहायिका	-
48		रामगंजबालाजी	उमरच	उमरच	कार्यकर्ता	-
49		खटकड	खटकड	खटकड IV	कार्यकर्ता	-
50	बा0 वि0 परि0 अधि0 बून्दी	गुढानाथावत	गुढानाथावत	गुढानाथावत I	सहायिका	-
51	<u>ICDS.BUNDICITY@</u>	भैरुपुरा बरड	अनोपपुरा	अनोपपुरा	सहायिका	-
52	<u>RAJASTHAN.GOV.I</u>	गुमानपुरा	अल्कोदिया	अल्कोदिया	कार्यकर्ता	-
53		माटून्दा	माटून्दा	माटून्दा II	सहायिका	-
54		नगर परिषद् बून्दी	वार्ड नं0 12	वार्ड नं0 12	कार्यकर्ता	-
55			वार्ड नं0 29	वार्ड नं0 29	सहायिका	-

- चयन विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12-01-2023 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन रहेगा।
- शैक्षणिक योग्यता**— आँगनबाडी कार्यकर्ता एवं आँगनबाडी सहायिका हेतु **न्यूनतम बाहरवीं उत्तीर्ण** होना आवश्यक हैं।
- आयु**— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होगी (विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को)। जन्मतिथी के सम्बन्ध में किसी भी राज्य के बोर्ड द्वारा जारी दसवीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र को मूल आधार माना जावेगा।
- मूल निवास**— शहरी क्षेत्र में जिस आँगनबाडी केन्द्र पर चयन होना है उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र में जिस आँगनबाडी केन्द्र पर चयन होना है उसी राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। मूल निवासी होने के आधार हेतु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जनाधार कार्ड/राशन कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पिछड़ा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धी तथ्य को विधी सम्मत शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष के लिए मान्यता दी जावेगी (क्रिमीलेयर नहीं होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा)।
- विधवा हेतु प्रमाण के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं "पुनर्विवाह नहीं किया है" इसका आवेदन पत्र की धोषणा में अंकन आवश्यक होगा। परितक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिक्री की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विधवा एवं परितक्ता/तलाकशुदा महिला को ससुराल एवं मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
- आवेदन पत्र के साथ आवेदक के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी धोषणा पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।
- आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से अथवा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं, योग्य अम्यर्थी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ईमेल आईडी पर **विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में (आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 22-08-2025) सायं 05.00 बजे तक जमा करवा सकता है।**
- आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय वेबसाई www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Richa Chaturvedi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.07.23 16:37:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी
सिटी कोतवाली के सामने बून्दी Mail ID:- ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in

(ऋचा चतुर्वेदी)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बून्दी
दिनांक :- 23-07-2025

क्रमांक: ICDS/बून्दी/2025/651-663

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(मो0), समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बून्दी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी।
5. उपनिदेशक(एसीपी), समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करें।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बून्दी।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बून्दी।
8. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड..... जिला बून्दी।
9. आयुक्त, नगर परिषद्, बून्दी/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिकाजिला बून्दी।
10. विकास अधिकारी, पंचायत, समितिजिला बून्दी।
11. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,जिला बून्दी।
12. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी.....।
13. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Richa Chaturvedi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.07.23 16:37:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी
सिटी कोतवाली के सामने बून्दी Mail ID:- ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in

क्रमांक: ICDS / बून्दी/2025/650

दिनांक :- 23-07-2025

विज्ञप्ति संख्या : 01/2025

जिले में निम्नलिखित परियोजनाओं के अधीन संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों हेतु आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, एवं आंगनबाड़ी सहायिकाओं के स्वेच्छिक मानदेय सेवा के रिक्त पदों हेतु आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं।

क्र. सं.	परियोजना	रिक्त पद का विवरण	
		आंगनबाड़ी कार्यकर्ता	आंगनबाड़ी सहायिका
1	बाल विकास परियोजना अधिकारी केशोराय पाटन <u>ICDS.KESAVRAIPATAN@RAJASTHAN.GOV.IN</u>	महापुरा (ST), सक्रामगंज (ST), पाली (ST), माल की झोपडिया (ST), पीपल्दा सुमेल (ST), सुखसागर (ST), छप्पनपुरा (ST), एवं जगन्नाथपुरा,	महापुरा (ST), टोकसपुरा (ST), सक्रामगंज (ST), जयनगर, पाली (ST), माल की झोपडिया (ST), पीपल्दा सुमेल (ST), सुखसागर (ST), छप्पनपुरा (ST), कैंठपाटन ग्रामीण (SC), वार्ड नं० 02 (न०पा० काप्रेन) ST एवं वार्ड नं० 03 I (न०पा० केशोराय पाटन)
2	बाल विकास परियोजना अधिकारी तालेडा <u>ICDS.TALERA@RAJASTHAN.GOV.IN</u>	सीतापुरा I एवं तालेडा V	लाम्बाखोह I (ST) एवं खेडला
3	बाल विकास परियोजना अधिकारी हिण्डोली <u>ICDS.HINDOLI@RAJASTHAN.GOV.IN</u>	-	अणतगंज, रघुनाथपुरा I, रेण I (SC), रेण II, देवडुंगरी (ST) एवं ओवण I
4	बाल विकास परियोजना अधिकारी नैनवा <u>CDPO.NAINWAN@RAJASTHAN.GOV.IN</u>	माताजी का झोपडा, खेडी (ST), करवर III, जेतपुर, देवपुरा (ST) एवं उगेन (ST)	ताकला (SC), बालापुरा (ST), भोमपुरा, रामपुरिया (ST), समिधी I, भजनेरी I, अरनेठा, डेलपुरा (ST), जेतपुर एवं देई II (न०पा० देई)
5	बाल विकास परियोजना अधिकारी बून्दी <u>ICDS.BUNDICITY@RAJASTHAN.GOV.IN</u>	उमरच, खटकड IV, अल्कोदिया एवं वार्ड नं० 12 (न०पा० बून्दी)	गुढानाथावत I, अनोपपुरा, माटून्दा II एवं वार्ड नं० 29 (न०पा० बून्दी)

- चयन विभागीय परिपत्र क्रमांक 4244 दिनांक 12-01-2023 में उल्लेखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर जारी संशोधनों के अधीन रहेगा।
- शैक्षणिक योग्यता**— आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं आंगनबाड़ी सहायिका हेतु **न्यूनतम बाहरवीं उत्तीर्ण** होना आवश्यक हैं।
- आयु**— आवेदन के लिए न्यूनतम आयु 18 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होगी, अनुसूचित जाति, जनजाति, विधवा, तलाकशुदा एवं विशेष योग्यजन के प्रकरण में अधिकतम आयु 40 वर्ष तक की होगी (विज्ञप्ति प्रकाशन की तिथि को)। जन्मतिथी के सम्बन्ध में किसी भी राज्य के बोर्ड द्वारा जारी दसवीं की अंकतालिका/प्रमाण पत्र को मूल आधार माना जावेगा।
- मूल निवास**— शहरी क्षेत्र में जिस आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयन होना है उसी वार्ड की स्थानीय निवासी होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र क्षेत्र में जिस आंगनबाड़ी केन्द्र पर चयन होना है उसी राजस्व ग्राम की स्थानीय निवासी होना चाहिए। मूल निवासी होने के आधार हेतु मतदाता पहचान पत्र/आधार कार्ड/जनाधार कार्ड/राशन कार्ड/मूल निवास प्रमाण पत्र/विवाह प्रमाण पत्र में से कोई भी दो वांछनीय दस्तावेजों की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- पिछडा वर्ग नॉन क्रिमीलेयर के जारी प्रमाण पत्र सम्बन्धी तथ्य को विधी सम्मत शपथ पत्र के आधार पर 3 वर्ष के लिए मान्यता दी जावेगी (क्रिमीलेयर नही होने सम्बन्धी प्रमाण पत्र एक वर्ष के लिए मान्य होगा)।

Signature Not Verified

Digitally signed by Richa Chaturvedi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.07.23 16:37:50 IST
Reason: Approved

राजस्थान सरकार
कार्यालय उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बून्दी
सिटी कोतवाली के सामने बून्दी Mail ID:- ddbundi.wcd@rajasthan.gov.in

6. विधवा हेतु प्रमाण के रूप में पति की मृत्यु का प्रमाण पत्र एवं "पुनर्विवाह नहीं किया है" इसका आवेदन पत्र की घोषणा में अंकन आवश्यक होगा। परितक्ता एवं तलाकशुदा की स्थिति में सक्षम स्तर (न्यायालय/उपखण्ड अधिकारी) से जारी आदेश/डिक्री की छाया प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा। विधवा एवं परितक्ता/तलाकशुदा महिला को ससुराल एवं मायके दोनों स्थानों के लिए यथानुसार स्थानीय निवासी माना जा सकेगा।
7. आवेदन पत्र के साथ आवेदक के घर में शौचालय होने एवं उसका नियमित उपयोग किये जाने सम्बन्धी घोषणा पत्र आवश्यक रूप से संलग्न करें।
8. आवेदन पत्र सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय से अथवा विभागीय वेबसाइट से प्राप्त किये जा सकते हैं, योग्य अम्यर्थी अपना पूर्ण रूप से भरा हुआ आवेदन पत्र मय दस्तावेजों के दो प्रतियों में सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय में व्यक्तिशः/रजिस्टर्ड डाक द्वारा अथवा सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय की ईमेल आईडी पर विज्ञप्ति जारी होने की तिथि से 30 दिवस की अवधि में (आवेदन की अन्तिम तिथि दिनांक 22-08-2025) सायं 05.00 बजे तक जमा करवा सकता है।
9. आवेदन फार्म एवं विस्तृत जानकारी उपनिदेशक कार्यालय/सम्बन्धित बाल विकास परियोजना अधिकारी कार्यालय एवं विभागीय वेबसाई www.wcd.rajasthan.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

(ऋचा चतुर्वेदी)
उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बून्दी
दिनांक :- 23-07-2025

क्रमांक: ICDS/बून्दी/2025/651-663

प्रतिलिपि सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक(मो0), समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर।
3. जिला कलक्टर, बून्दी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, बून्दी।
5. उपनिदेशक(एसीपी), समेकित बाल विकास सेवाएं-राजस्थान, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि विज्ञप्ति को विभागीय वेबसाइट पर उपलोड करवाने का श्रम करें।
6. जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी, बून्दी।
7. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला बून्दी।
8. उपखण्ड अधिकारी, उपखण्ड..... जिला बून्दी।
9. आयुक्त, नगर परिषद्, बून्दी/अधिशायी अधिकारी, नगरपालिकाजिला बून्दी।
10. विकास अधिकारी, पंचायत, समितिजिला बून्दी।
11. ब्लॉक मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी,जिला बून्दी।
12. बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाएं,जिला बून्दी।
13. सरपंच/ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत.....पंचायत समिति.....द्वारा बाल विकास परियोजना अधिकारी.....।
14. रक्षित पत्रावली।

उपनिदेशक
महिला एवं बाल विकास विभाग
बून्दी

Signature Not Verified

Digitally signed by Richa Chaturvedi
Designation : Deputy Director
Date: 2025.07.23 16:37:50 IST
Reason: Approved